

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-1/2019/55/2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/09/2019

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय:- जी.एन.एम. की शिक्षण शुल्क वृद्धि किये जाने बाबत।

संदर्भ:- एफ-3-5/2008/17/मेडि, दिनांक 22/03/2008 एवं एफ-2-63/03/1/55, दिनांक 06/04/2009.

राज्य शासन एतद द्वारा संदर्भित आदेशो को अधिक्रमित करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय, स्वशासी एवं निजी नर्सिंग संस्थाओं में संचालित जीएनएम नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु पूर्व से निर्धारित फीस मे 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निम्नलिखित वार्षिक शुल्क का निर्धारण किया जाता है:-

पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	क्लीनिकल प्रशिक्षण 06 माह
G.N.M. Admission and Tuition Fees	30000	30000	30000	12000
Other	12000	9600	9600	4800
Total	42000	39600	39600	16800

फीस विवरण निम्नानुसार है:-

Previous Fee Year 2008	Increased 20% Fee	Total
Admission	10000	12000
and Tuition fees	15000	18000
cauation. Fees	2000	2400
Library	1300	1560
Laboratory	1200	1440
Transporation	1500	1800
Recreation and Sport	1000	1200
Printing and Stationary	500	600
Annual Assessment	1000	1200
Postal Rent, Electricity etc.	1000	1200
Medical Checkup	500	600
Total	35000	42000

23 SEP 2019

.....निरंतर.....

16321

उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-1/2019/55/2

भोपाल, दिनांक 13/09/2019

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।

-
1. शासकीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली।
 2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल।
 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 4. आयुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
 5. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग।
 6. समस्त संभागायुक्त, संभाग
 7. कलेक्टर, जिला
 8. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयम.प्र.।
 9. रजिस्ट्रार, म.प्र. रजिस्ट्रेशन नर्सिंग कौंसिल, भोपाल की टीप क्रमांक 460/2019 दिनांक 20.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 10. समस्त प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय जिला..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 11. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

